न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 331/2017

हुकमा पुत्र जोधा व अन्य
बनाम
बांका पुत्र जेठा वगैरा

दिनांक 21.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 315/2014 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–प्रार्थी–बांका वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील चौहटन स्थित ग्राम भादूओं का तलां के ख0नं0 74, 122/70, 123/75, 125/75 की कुल रकबा भूमि 112.04 बीघा खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–विप्रार्थीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में एक नियमित वाद सहायक कलेक्टर चौहटन के न्यायायल में स्वयं रेस्पो0 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध वास्ते बेदखली का पेश किया गया था। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा नही है। यह मामला दो गांवों की सरहदों पर स्थित पक्षकारों के खसरान की सीमाओं के विवाद का है, जिसका निस्तारण इस प्रकार नही किया जा सकता है। उक्त वाद सं0 869/10 में पारित निर्णय दिनांक 15.1.14 द्वारा खारिज कर दिया गया, वकील अपीलांट्स ने फार्म नं0 3 के साथ इसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

इसके अलावा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। पत्रावली नियमित तारीख पेशियों में चल रही थी, जिसे अकस्मात राजस्व लोक अदालत–केम्प कोर्ट नेतडा में ले जाकर, अपीलांट्स को बिना सूचित किए निर्णित कर दिया गया। धारा 128 आरएलआर एक्ट के तहत कार्यवाही से पूर्व अविवादित पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली पर होना आवश्यक है, जबकि उक्त मामलें में पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही अत्यंत जल्दबाजी में की गई, इतना ही नही आदेश का कियान्वयन 15 दिन की समयावधि में करने के निर्देश दिये गये। कब्जे के विवाद में धारा 128 आरएलआर एक्ट के तहत किसी प्रकार का आदेश पारित किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जाना न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0 ग्राम भादूओं का तलां के ख0नं0 74, 122/70, 123/75, 125/75 की कुल रकबा भूमि 112.04 बीघा के खातेदार है। जिसके पडौस में विप्रार्थीगण–अपीलांट्स के खेत खसरान स्थित है। जिनके बीच सेढो पर पुरानी कच्ची–पक्की माठे अथवा सीमाचिन्ह नही होने से काश्त को लेकर विवाद रहता है, जिसे नेखमबंदी के जरिये हल करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, वादग्रस्त भूमि के पडौसी समस्त खातेदारों एवं पक्षकारों को नोटिस तामिल कराते हुए विधिसम्मत तरीके से नेखमबंदी कराने हेतु तहसीलदार सेडवा को आदेशित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण विप्रार्थीगण की तामिली में चल रहा था व वादग्रस्त खसरान की पैमाईश रिपोर्ट का पत्रावली में अभाव पाया गया। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में सहायक कलेक्टर चौहटन के समक्ष स्वयं रेस्पो0 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित वाद सं0 869/10 वास्ते बेदखली में पारित निर्णय दिनांक 15.1.14 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके निष्कर्शतः ''उक्त आराजी खेत कोनरा तथा नेतराड़ दो गांवों की सरहद पर अवस्थित है तथा सेढा पर स्थित खेतों की सीमाओं का एक दूसरे पर अधिच्छादन हो सकता है, अतः प्रकरण में समस्त प्रभावित खातेदारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बगैर दावा डिक्री किया जाना न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल माना गया। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त खसरान की नेखमबंदी हेतु पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 315/2014 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.6.15 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक 21.11.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

21.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर